

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

ठब्बू०पी० (एस०) सं०-११९३ वर्ष २०१७

- पतरास होरो, पे० स्वर्गीय जॉन होरो, अवकाशप्राप्त सहायक शिक्षक, निर्मला हाई स्कूल, महऊगांव, लापुंग, डाकघर एवं थाना—लापुंग, जिला—रांची।
- डेनिएल होरो, पे० स्वर्गीय पॉलुस होरो, अवकाश प्राप्त सहायक शिक्षक, निर्मला हाई स्कूल, महऊगांव, लापुंग, डाकघर एवं थाना—लापुंग, जिला—रांची।

..... याचिकाकर्तागण

बनाम्

- झारखण्ड राज्य।
- प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार, प्रोजेक्ट भवन, डाकघर एवं थाना—धुर्वा, जिला—रांची, झारखण्ड।
- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार, टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर—धुर्वा, थाना—जगन्नाथपुर, जिला—रांची।
- जिला शिक्षा पदाधिकारी, रांची, डाकघर—जी०पी०३००, थाना—कोतवाली, जिला—रांची।
- सचिव / प्रधानाध्यापक, निर्मला हाई स्कूल, महऊगांव, लापुंग, डाकघर एवं थाना—लापुंग, जिला—रांची।

.... उत्तरदातागण

कोरम :

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रमाथ पटनायक

याचिकाकर्ता के लिए :—

श्री दीपक कुमार प्रसाद, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए:-

श्री डी०सी० मिश्रा, जी०ए० के जे०सी०

02 / 06.03.2017 पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याचिकाकर्तागण सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक हाई स्कूल के अवकाशप्राप्त सहायक शिक्षक हैं, इनका व्यक्तिगत विवरण नीचे चार्ट में दिखाया गया है:-

याचिकाकर्ताओं का तर्क यह है कि प्रश्नगत स्कूल एक सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक हाई स्कूल है और स्कूल कर्मचारियों के वेतन और सेवानिवृति लाभों के भुगतान के लिए सभी खर्चों को राज्य सरकार द्वारा सरकारी खजाने से वित्त पोषित किया गया है। याचिकाकर्ताओं को महालेखाकार कार्यालय द्वारा जारी किया गया पेंशन भुगतान आदेश के आधार पर पेंशन भी मिल रही है।

वर्तमान रिट आवेदन में, याचिकाकर्ताओं की शिकायत उसके खिलाफ बकाया अर्जित अवकाश पर छुट्टी नकदीकरण राशि का भुगतान न करने के संबंध में है। उन्होंने यह भी कहा है कि अन्य पोस्ट रिटायरल बकाया का भुगतान पहले ही किया जा चुका है और राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुदान सहायता से वेतन और सेवानिवृति के बाद लाभ का भुगतान किया गया है।

याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री दीपक कु० प्रसाद ने कहा कि हालांकि, याचिकाकर्ताओं के दावे का पहले प्रत्यर्थी—राज्य सरकार द्वारा विरोध किया गया था, लेकिन अब यह मुद्दा मरियम तिर्की बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, डब्ल्यू०पी० (एस०) सं०—५०६ / २०१३ और ३ जनवरी, २०१४ के अनुरूप मामले जो २०१४ (१) जे०बी०सी०जे० ४६५ में रिपोर्ट किए गए हैं, के मामले में इस न्यायालय की विद्वान खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्णय के मद्देनजर सुलझा लिया गया है। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पेशल लीव टू अपील (सी) संख्या २०६०६—२०६०७ / २०१४ में दिनांक १५.१२.२०१४ को पारित निर्णय द्वारा बरकरार रखा गया। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, विद्वान डिवीजन बैंच द्वारा पूर्वांकित दिए गए निर्णय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई पुष्टि के मद्देनजर रिट याचिका का निपटारा

उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ताओं को अर्जित अवकाश नकदीकरण राशि का भुगतान करने का निर्देश देकर किया जा सकता है।

उत्तरदाता—राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता इस बात पर विवाद नहीं करते हैं कि सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक हाई स्कूल के शिक्षकों को अर्जित अवकाश नकदीकरण राशि की स्वीकार्यता से संबंधित पूर्वाक्त मुद्दा अब मरियम तिर्की (सुप्रा) के मामले में दिए गए निर्णय जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किया गया है, द्वारा तय किया गया है।

पार्टीयों के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, ऐसी परिस्थितियों में, रिट याचिका का निपटारा प्रतिवादी सं० 4 को यह निर्देश देकर किया जा रहा है कि वह याचिकाकर्ताओं को उनके संबंधित सेवा रिकॉर्ड की उचित जांच के बाद छुट्टी नकदीकरण राशि प्रदान करने के मामले में उनके अभ्यावेदन के साथ इस आदेश की एक प्रति प्राप्त होने की तारीख से दस सप्ताह की अवधि के भीतर और मरियम तिर्की (सुप्रा) के मामले में दिए गए निर्णय को देखते हुए निर्णय किया जाए।

तदनुसार, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(प्रमाथ पटनायक, न्याया०)